

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक 268/दो-12-3/2010(Part-II)

बैकुण्ठपुर दिनांक 07.10.2025

माननीय रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7639/2012/तीन-18-27/2000 बिलासपुर, दिनांक 23.11.2012 सहपठित ज्ञापन क्रमांक 1932 दिनांक 12.03.2013 के तारतम्य में श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत, भृत्य की मृत्यु दिनांक 07.06.2025 को हो जाने के फलस्वरूप श्री मृगल सिंह राजपूत के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के पात्रता के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र पाये जाने पर वेतनमान 15600-49400 लेवल-1 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परीक्षा पर नीचे वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना निम्नानुसार किया जाता है :-

| क्रमांक | आवेदक का नाम, पिता का नाम व पता                                                                                                                         | नव नियुक्त पदनाम | पदस्थापना                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1       | श्री मृगल सिंह राजपूत S/O स्व0 श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी वार्ड नं0 33 सी 3/84, बी-टाईप गोदरीपारा, चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छ0ग0 | भृत्य            | कार्यालय अनुभाग बैकुण्ठपुर |

**यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।**

**शर्तें :-**

1. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक रूप से मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज की मूल प्रति एवं तीन छायाप्रति स्वप्रमाणित कार्यालय में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
2. अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जांच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा ।

4. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जायेगा ।
5. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवाएँ एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है ।
6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म की पूर्ति कर तीन प्रतियों में शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा । यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी । (अनुप्रमाणन फार्म संलग्न है)
7. अभ्यर्थी यदि वे स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना कार्यालय प्रमुख को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन-भत्ता जमा करना होगा । इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा ।
8. कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी ।
9. कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।
10. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी ।
11. अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनकी पदस्थापना जिला स्थापना कोरिया, बैकुण्ठपुर अंतर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है ।
12. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्रसारित होने के दिनांक से **23.10.2025 तक** आवश्यक रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा । नियत अवधि के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।
13. कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी के लिए शपथ लेना अनिवार्य होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।

*(Handwritten Signature)*  
27/10/25

(शैलेश कुमार तिवारी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

पृ०क्रमाँक 1603 /दो-12-3/2010(Part-II)  
प्रतिलिपि :-

बैकुण्ठपुर दिनाँक 07.10.2025

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर ज्ञापन क्रमाँक 1932/दो-18-27/2000 बिलासपुर, दिनाँक 12.03.2013 के आलोक में सूचनार्थ सादर प्रेषित है ।
2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० ।
3. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग/नजारत अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० ।
4. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० ।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० ।
6. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।
7. श्री मृगल सिंह राजपूत S/O स्व० श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी वार्ड नं० 33 सी 3/84, बी-टाईप गोदरीपारा, चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छ०ग० ।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ०ग०)

